आबिद हुसैन बनाम सरवर हुसैन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2023/435) अपील 10/2023
16/5/24	अधिवक्ता अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित रेस्पोण्डेन्ट संख्या 01,02 की ओर से अधिवक्ता चारुलता धाकड़ ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। रेस्पोण्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा एवं जवाब शामिल मिसल किया जावे। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई।

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के विरुद्ध आ०सं० 2167 दिनांक 05/8/2015 मौजा बस्सी एवं रेस्पोण्डेन्ट ने अपील मेमो इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बस्सी में परिवार की कृषि आराजी अवस्थित है, जिसमें आराजी नम्बर 140 रकबा 0.20 हे० है। यह आराजी पुश्तैनी है। हमारे पिताजी बशीर अहमद जी के जीवनकाल से ही हमारे हक हिस्से की आराजी पर राजीखुशी काबिज है। हमारा पारिवारिक ~~सजरा~~ शजरा निम्न प्रकार है—

शमसुद्दीन

बशीर अहमद (फोत) | नूर मो० | मो० इकबाल | जैतुन, कुलसुम, जैनब

(बशीर अहमद की संतान:) हलीमा | आबिद हुसैन | अनवर हुसैन (फोत) | जन्नत | रबिया

(अनवर हुसैन की संतान:) सरवर हुसैन | फरजान हुसैन

अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पोण्डेन्ट्स के दादाजी बशीर अहमद की दिनांक 9/7/2012 को मृत्यु हो गई, तत्पश्चात बशीर अहमद के पुत्र एवं विपक्षीगण के पिता अनवर हुसैन की भी दिनांक 23/11/2013 को मृत्यु हो गई थी।

……लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
…गढ़ (राज.)

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

त SDO मुकाम चित्तौड़गढ़
आबिद हुसैन बनाम सरवर हुसैन
मा अपील नं. 10 सन् 2023
(2023/435)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बशीर जी की मृत्युपरान्त अज्ञानतावश विरासत का इन्तकाल नहीं खुलवाया था। इन्तकाल नम्बर 2167 दिनांक 05/08/2015 को बशीर अहमद जी का विरासत का इन्तकाल खोला गया उसमें सहवन से विपक्षी संख्या 1,2 को बशीर के पौत्र के बजाय दोनों को बशीर जी के पुत्र मान लिए गए तथा बराबर-बराबर हक हिस्से का नामान्तरण खोल दिया गया जो बिलकुल गलत है। स्व० अनवर जी के हक हिस्से में विपक्षी सं. 1,2 का ½-½ हक हिस्सा है। उक्त त्रुटि का शुद्धिकरण किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अपीलार्थीगण को पूर्व में उक्त त्रुटि की जानकारी नहीं थी। वर्तमान में जानकारी होने पर पटवारी हा० एवं तहसीलदार सा० को निवेदन किया गया लेकिन उक्त त्रुटि का शुद्धिकरण नहीं किया गया जिससे उक्त अपील पेश है। अतः उक्त इन्तकाल में शुद्धिकरण करवा, विपक्षी 1,2 का नाम बशीर अहमद के पुत्र के बजाए स्व० अनवर हुसैन जी के पुत्रों के रूप में नाम दर्ज करवा राजस्व रेकार्ड में पालना कराने की कृपा करावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स .... लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

तारीख हुक्म	आबिद हुसैन V/S अख्तर हुसैन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2023/435) अपील 10/2023

को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट 01,02 ने जवाब प्रस्तुत किया कि अपील की कलम संख्या 1,2 मे वर्णित तथ्य एवं सजरा सही होना स्वीकार है। जवाबदार का अनवरी की आराजी मे 1/2-1/2 हक हिस्सा निहित है, राजस्व कार्मिकों द्वारा जो त्रुटिपूर्ण इन्तकाल खोला गया। उसमे शुद्धि करवा राजस्व रेकार्ड मे हमारा वास्तविक हक हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। जवाबदार को भी उक्त त्रुटि की पूर्व मे जानकारी नहीं थी। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान करावे। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन/ अध्ययन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न नकल नामान्तरकरण संख्या 2167 रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 क्रमशः अख्तर हुसैन, फरजान हुसैन को मृतक बशीर अहमद के पुत्र के रूप मे अंकित किया है, जबकि रेस्पोडेन्ट 1,2 मृतक बशीर अहमद के पुत्र अनवर हुसैन के पुत्र है। यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 मृतक बशीर अहमद के पौत्र है। अपीलान्टस द्वारा अपील मेमो मे अंकित सजरे से रेस्पोडेन्ट 1,2 भी सहमत है। रेस्पोडेन्ट 1,2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब मे वर्णित तथ्यों एवं अपील मेमो मे वर्णित पारिवारिक सजरे से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2167 दिनांक 05/8/2015 पक्षकारान के पारिवारिक सजरे की विस्तृत जांच किए बिना निर्णित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार योग्य होने ......लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आबिद हुसैन V/s सरकार हुजूर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2023/435) अपील 10/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 2167 दिनांक 05/08/2015 मौजा बस्सी निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बस्सी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा बताये गए पारिवारिक सजरे की विस्तृत जांच कर, विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बस्सी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	